Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. SK/1/2017/STGBH/ATOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 20-12-2017

To,

The Superintendent of Police,
District- Bhojpur
(Bihar)

Sub Representation dated 15.09.2017 of Shri Sanoj Kumar, Gram-Digha, Post- Chaki, Thana- Dhangai, District- Bhojpur, Bihar regarding atrocity case.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 17.11.2017 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Sanoj Kumar,
   Gram-Digha, Post- Chaki,
   Thana- Dhangai,
   District- Bhojpur,
   (Bihar)
2. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SK/1/2017/STGBH/ATOTH/RU-III)

श्री सनोज कुमार गोंड, ग्राम- दीघा, पोस्ट- चकई, थाना- धनगाई, जिला- भोजपुर, बिहार द्वारा उनके भतीजे की हत्या और उनके परिवार के ऊपर अत्याचार तथा पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	17.11.2017
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री सनोज कुमार गोंड, ग्राम- दीघा, पोस्ट- चकई, थाना- धनगाई, जिला- भोजपुर, बिहार ने उनके भतीजे की हत्या और उनके परिवार के ऊपर अत्याचार तथा पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2017 को आयोग को मे अभ्यावेदन दिया था और न्याय के लिए निवेदन किया। अभ्यावेदन में बताया गया कि गैर आदिवासी जातियों ने उनके भतीजे की हत्या कर दी और उनके परिवार को लगातार धमकी दी रहे हैं। इस मामले में पुलिस में एफआईआर करा दी गई है किन्तु अभी तक सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक उन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी प्राप्त नहीं हुआ है।
2. आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 21.09.2017 को एक नोटिस जारी कर जिला कलेक्टर, आरा और पुलिस अधीक्षक, आरा से 7 दिन के अंदर मामले में जानकारी माँगी। इसके प्रत्युत्तर में कोई जवाब आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। आयोग ने पुनः दिनांक 12.10.2017 को अनुस्मरण नोटिस जारी कर जवाब माँगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. इस सम्बन्ध में दिनांक 03.11.2017 को पुलिस अधीक्षक, आरा द्वारा प्रेषित पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। इसमे उल्लेख किया गया कि मामले में कुल नामजद किये गए अभियुक्तों में से दो मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है।

4. आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 03.11.2017 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर पुलिस अधीक्षक, आरा को मामले में चर्चा के लिए बुलाया। इसके प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक, आरा का दिनांक 07.11.2017 को प्रेषित पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि मामले में कुल नामजद किये गए अभियुक्तों में से दो मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। पत्र में उन्होंने आयोग से सीटिंग में व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने का अनुरोध किया।

5. आयोग में चर्चा के लिए पुलिस अधीक्षक की जगह श्री दया शंकर, सहायक पुलिस अधीक्षक, आरा उपस्थित हुए।

6. आयोग ने अभ्यावेदक श्री सनोज कुमार गोंड से अपना मामला स्पष्ट करने को कहा। श्री सनोज कुमार गोंड ने आयोग को अवगत कराया कि, उनके भतीजे की हत्या और उनके परिवार के ऊपर अत्याचार तथा पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2017 को आयोग को मे अभ्यावेदन दिया था और न्याय के लिए निवेदन किया। अभ्यावेदन में बताया गया कि गैर आदिवासी जातियों ने उनके भतीजे की हत्या कर दी और उनके परिवार को लगातार धमकी दी रहे हैं। इस मामले में पुलिस में एफआईआर करा दी गई है किन्तु अभी तक केवल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है शेष अभियुक्त अभी की गिरफ्तार नहीं किये गए। उन्होंने आगे यह भी बताया कि उन्हें आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार जान माल के क्षति पहुंचाने की धमकी मिल रही है।

7. आयोग ने सहायक पुलिस अधीक्षक, आरा से इस मामले में हुई कार्यवाई और प्रगति के सम्बन्ध में जानना चाहा। सहायक पुलिस अधीक्षक, आरा ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक ने कुल 6 अभियुक्तों को नामजड़ किया था जिनमे से 2 मुख्य अभियुक्त थे जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि मामले में कुल चार लाख पचास हजार रुपये

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

का मुआवजा पहली किश्त के रूप में पीड़ित परिवार को प्राप्त हो चुका है। अभ्यावेदक को आरोपी परिवार के द्वारा धमकी के सम्बन्ध में उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि वे लगातार व्यक्तिगत रूप से मामले को देख रहे हैं तथा प्रतिदिन अभ्यावेदक के गाँव में पुलिस गश्त भेज रहे हैं।

8. आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह अनुशंसा की, कि आरा पुलिस शीघ्र जांच संपन्न कर शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे तथा अभ्यावेदक और मामले से सम्बंधित गवाहों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आयोग ने आरा पुलिस को इस मामले में की गई कार्यवाई और जांच कार्य की प्रगति से आयोग को अवगत कराने की भी अनुशंसा की।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SK/1/2017/STGBH/ATOTH/RU-III)

श्री सनोज कुमार गोंड, ग्राम- दीघा, पोस्ट- चकई, थाना- धनगाई, जिला- भोजपुर, बिहार द्वारा उनके भतीजे की हत्या और उनके परिवार के ऊपर अत्याचार तथा पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के. दूबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

बिहार पुलिस के अधिकारी

1. श्री दया शंकर, सहायक पुलिस अधीक्षक, आरा

अभ्यावेदक

1. श्री सनोज कुमार गोंड